संख्या–3399/9–आ–3–2002–275काम्प/97

प्रेषक,

**जे.एस.मिश्र,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**1. उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

**2. अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास, प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

**3. आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3

लखनऊः दिनाँक–19 अक्टूबर, 2002

**विषय : सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों में रियायत दिये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1305/9–आ–3–98–275 काम्प/97, दिनांक 21.5.98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 21.5.98 के अन्तर्गत भवन मानचित्र स्वीकृति के संबंध में लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने का आवेदन किया जा रहा है, जबकि ऐसी संस्था में बिना लाभ–हानि के सेवारत संस्थाओं की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है।

2– अतः उक्त शासनादेश संख्या–1305/9–आ–3–98–275 काम्प/97, दिनांक 21.5.98 में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट प्रदान किये जाने की सुविधा केवल उन्हीं चेरिटेबुल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जो विधवा, निराश्रित महिलाओं हेतु संरक्षण गृहों, कृष्ठ रोग पीड़ित, मूक बधिर, वृद्ध भिखारियों, असहाय एवं अपाहिज व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों, अनाथालयों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि का संचालन करती हो। वस्तुतः ऐसी दातव्य (चैरिटेबल) व अध्यात्मिक/धार्मिक, सामाजिक, संस्थाओं जो बिना किसी लाभ–हानि के सेवारत है एवं जिनका किसी प्रकार से भी व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, मात्र ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण मानचित्रों पर परमिट शुल्क/विकास शुल्क/सुदृढ़ीकरण शुल्क की आगणित धनराशि का 35 प्रतिशत जमा कराकर मानचित्र पर स्वीकृति दी जाएगी। उक्त छूट उन्हीं चैरिटेबल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80–जी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गयी हो तथा मानचित्र स्वीकृति के समय भी यह छूट उपलब्ध हो। पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 21 मई, 1998 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

**जे.एस.मिश्र**
सचिव।

**संख्या :– 3399(1)/9–आ–3–2002–275काम्प/97 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

3. उ0प्र0 आवास बन्धु।

आज्ञा से,

**संजीव कुमार**

विशेष सचिव।